

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेशः—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र0अ0 (मा0वि0) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे मैट्रिक लेवल
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री भगवानाराम विश्नोई प्रधानाचार्य, राउमावि, धानता - सांचोर (जालोर)	05.02.60	07.02.85 व्याख्याता	06.02.15 30 वर्ष	07.02.15 तृतीय	15600-39100 6800/-
02	श्री शिवराम मीना से0नि0 प्रधानाचार्य, राउमावि, भनोंखर-कदूमर (अलवर)	15.07.58	09.08.86 व0अ0	08.08.16 30 वर्ष	09.08.16 तृतीय	15600-39100 6800/-

उक्त प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा । एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा । वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।



(नथमल डिडेल)


आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक:शियिरा-मा/संस्था/ए-3-4/एसीपी/जय-जोध-पांली/2019/69
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 24/10/19

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक
- 2- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं0 स0
- 3- संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित अधिकारी।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग।
- 5- रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।